बिहार सरकार

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021

संख्या 11/उत्पाद नीति–01–03/2021.4.न.न.5. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–95 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है:–

अध्याय–1

प्रारंभिक परिभाषायें

 संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।–(1) यह नियमावली ''बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

134

- (3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
- परिभाषाएँ ।--इस नियमावली में, जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो--
 - (1) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016, (2016)
 का अधिनियम–20) (समय–समय पर यथा संशोधित);
 - (2) "ऐजेंसी अथवा ऐजेंट" से अभिप्रेत है उत्पाद होलोग्राम/चिपकनेवाले लेबल के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा चयनित वैयक्तिक फर्म/सरकारी संस्था/जी0पी0 एस0 युक्त डिजिटल लॉक के प्रयोजनार्थ;
 - (3) "बल्क लीटर" से अभिप्रेत है अंर्तवस्तु के बल्क अथवा मात्रा के प्रति संदर्भित लीटर;
 - (4) "रसायन परीक्षक" से अभिप्रेत है उत्पाद रासायनिक प्रयोगशाला, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला अथवा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रसायन परीक्षक के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, एवं विभाग के अनुमोदन के पश्चात उत्पाद आयुक्त द्वारा अन्य अनुमोदित प्रयोगशाला के अतिरिक्त उपर्युक्त प्रयोगशालाओं के उप रसायन परीक्षक भी इसमें शामिल हैं;
 - (5) ''विभाग'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग;
 - (6) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली में विहित प्रपत्र;
 - (7) ''नई उत्पाद नीति'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सम्युक रूप से बनाई गयी नीति और गजट अधिसूचना संख्या–3893 दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित;
 - (8) ''व्यक्ति'' में शामिल है व्यक्ति, हिंदु अविभक्त परिवार, भागीदारी फर्म, सहकारी सोसाइटी और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित कंपनी;

1

(9) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(10) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है, पहली अप्रील तिथि से आरंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाला पश्चात्वर्ती वर्ष;

अध्याय–2

विनिर्माणशालाओं का विनियमन ।

3. औद्योगिक अल्कोहल का विनिर्माणशाला —(1) नई उत्पाद नीति एवं पूर्ण मद्यनिषेध को अग्रसर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत विनियमों और निर्देशों का विनिर्माणशालाओं द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

(2) विनिर्माणशाला राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सभी दिशा—निर्देशों का अनुपालन करेगी।

(3) उत्पाद आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई विनिर्माणशाला प्लांट में कोई परिवर्तन अथवा कोई अन्य स्थायी साधित्री/प्लांट/मशीनरी नहीं जोड़ेगी अथवा हटाएगी। परिवर्तन, जुड़ाव या प्रतिस्थापन के लिए ऐसा आवेदन समाहर्त्ता के माध्यम से दिया जाएगा। ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन फार्म EL-1 (क) में किया जाएगा। समाहर्त्ता, उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, फार्म EL-1(ख) में अनुमति जारी करेगा। उत्पाद आयुक्त द्वारा अनुमोदित यह परिवर्तन नक्शा में जोड़ा जाएगा ।

(4) प्रत्येक विनिर्माणशालाओं का स्वामी (प्रोपराइटर) लिखित रूप में 15 दिन पूर्व, उस तिथि की सूचना जिस तिथि को विनिर्माण कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव देता हो और कम से कम एक माह की पूर्व सूचना, जब उसका प्रचालन रोकना हो, समाहर्त्ता को देगा।

4. औद्योगिक अल्कोहल और मादक द्रव्यों के निर्यात, परिवहन तथा पारगमन के लिए परमिट, पारक दियां जाना— बिहार राज्य में विनिर्मित औद्योगिक अल्कोहल एवं मादक द्रव्य का संचलन अथवा परिवहन निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जाएगाः—

(i) निर्यात परमिट, विनिर्माणकर्त्ता द्वारा आयुक्त उत्पाद को वैध आयात पारक समर्पित करने के बाद निर्गत किया जाएगा। आयात पारक और प्रपत्र EL-2(क) में आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त उत्पाद 1 माह तक की वैधता अवधि के लिए प्रपत्र EL-2(ख) में निर्यात पारक देने पर विचार करेंगे:

(ii) निर्यात पारक निर्गत करने के फलस्वरूप विनिर्माण इकाई पर प्रतिनियुक्त मद्यनिषेध अधिकारी, विनिर्माण केन्द्र से गंतव्य तक औद्योगिक अल्कोहल या मादक द्रव्यों की अपेक्षित मात्रा परिवहन के लिए विनिर्माता को अधिकृत करते हुए परिवहन पारक परिवहन के तारिख को निर्गत करेगा। इस प्रकार निर्गत पास की वैधता अवधि विभाग से निर्गत निर्यातादेश के अवधि के अंतर्गत होगा;

(iii) विनिर्माण करने वाली इकाई पर प्रतिनियुक्त उत्पाद अधिकारी जी०पी०एस० समर्थित डिजिटल रूप ताला बंद वाहन में औद्योगिक अल्कोहल का संचलन सुनिश्चित करेगा;

(iv) निर्गत परिवहन पारक के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा;

(v) विभाग के सम्यक अनुमोदन के पश्चात् प्रणाली को ऑनलाइन करने या किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपर्युक्त प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए आयुक्त उत्पाद सक्षम होंगे;

5. प्रपन्न, प्रारूप आदि का संशोधन करने की शक्ति।— विभाग के अनुमोदन के पश्चात् आयुक्त उत्पाद सम्पूर्ण मद्यनिषेध एवं उत्पाद शासन प्रणाली को "ऑनलाइन" करने या किसी अन्य उद्देश्य से प्रपन्न, प्रारूप आदि को विहित करने, परिवर्तित करने, संशोधित करने अथवा विलोपित करने हेतु पूर्णतः सक्षम होंगे।

अध्याय—3

अनाज आधारित आसवनियाँ

6. ई०एन०ए० और इथनॉल का उत्पादन करने वाली अनाज आधारित आसवनियाँ:– यदि कोई अनाज आधारित आसवनी ई०एन०ए० का उत्पादन करती है, ऐसी आसवनियाँ निम्नलिखित शत्तों का पालन करेगी:–

- (I) निर्माता कम्पनी/आसवनी किसी भी रीति से सरकार की मद्यनिषेध नीति के हित के विपरीत कार्य नही करेगी।
- (II) आसवनी न तो पेय अल्कोहल का निर्माण करेगी और ना हीं ई0एन0ए0 अथवा इथनॉल को पेय अल्कोहल में सम्परिवर्तित करेगी।
- (III) आसवनी परिसर में अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले सभी माल, कच्चे पदार्थ या अन्तिम उत्पाद की जी0पी0एस0 युक्त डिजिटल रूप से तालाबंद वाहन द्वारा ढुलाई किये जाऐगें।
- (IV) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 और उसके अधीन गठित नियमावली के प्रावधानों और इसके अधीन निहित शत्तों का निरीक्षण एवं नियमन के लिये आयुक्त उत्पाद ऐसे उत्पाद पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति आसवनी में करेंगे जैसा कि वे उचित समझें।
- (V) आसवनी से वाहनों के प्रवेश और निकासी के गतिविधियों की विडियोग्राफी के लिये आसवनी के परिसर एवं आस—पास क्षेत्रों की चौबीस घंटे निगरानी हेतु आसवनी के स्वत्वधारी को सी0सी0टी0मी0 कैमरा स्थापित कराना बाध्यकारी होगा। निरीक्षी प्राधिकार के उपयोग हेतु संबंधित डाटा को एक माह तक सुरक्षित रखा जायेगा।
- (VI) समाहत्तां अथवा आयुक्त उत्पाद के विशेष अथवा सामान्य आदेश के अधीन आसवनी द्वारा उत्पादित ई0एन0ए0/इथनॉल का समय–समय पर रासायनिक विश्लेषण के अध्याधीन होगा और निर्माता कम्पनी को गुणवत्ता की खामियों को आयुक्त उत्पाद की संतुष्टि हेतु दूर करना होगा।

- (VII) आसवनी के प्रवाह, कचरा और अवशिष्ट के निष्पादन के लिये आयुक्त उत्पाद अथवा समाहर्त्ता द्वारा यथा लिखित रूप में विहित व्यवस्था करने के लिये निर्माता कम्पनी आबद्ध होगी।
- (VIII) आसवक प्रतिदिन का नियमित और परिशुद्ध लेखा संधारित करेगा जो-
 - (क) व्यवहृत पदार्थ की मात्रा और विवरण
 - (ख) उत्पादित औद्योगिक अल्कोहल और धोवन की मात्रा
 - (ग) व्यवहृत धोवन की मात्रा
 - (घ) बाहर भेजे गये औद्योगिक अल्कोहल की मात्रा
 - (ड़) भंडार में औद्योगिक अल्कोहल और धोवन की मात्रा
 - (च) भंडार में उपोत्पाद यथा अशुद्ध स्प्रीट की मात्रा
 - (छ) व्यवहृत और भंडार में विकृतिकारक की मात्रा, प्रदर्शित करेगा।
 - (IX) एस०एल०पी०(सी०) 16828– 16831/2017 में दिनांक 14.7.2017 के न्यायादेश में अभिलिखित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिये गये निर्माता कम्पनी द्वारा वचन कि विनिर्माणशाला में न तो पेय अल्कोहल का निर्माण करेगी और ना हीं औद्योगिक अल्कोहल को पेय अल्कोहल में सम्परिवर्तित करेगी, से आवद्ध होगी, इसके अतिरिक्त विनिर्माणशाला पेय अल्कोहल के नवीकरण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगी।
 - (X) निर्माता कम्पनी/आसवनी अथवा उसके प्रतिनिधि, औद्योगिक अल्कोहल का निर्माण/ उत्पादन संबंधी आयुक्त उत्पाद द्वारा विर्निदिष्ट शर्त्ते अथवा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 और अथवा उसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों और इसमें विर्निदिष्ट शर्त्तों का विधि भंग, विधि का उल्लंघन करने पर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अध्याय VI के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई के भागीदार होगी;
 - (XI) विनिर्माता कम्पनी आयुक्त उत्पाद के द्वारा समय—समय पर दिये गये सामान्य/विशिष्ट आदेशों को मानने के लिए बाध्य होगी।

अध्याय-4

मादक द्रव्यों / ई0एन0ए0 / औद्योगिक अल्कोहल एवं खाली बोतलों का परिवहन एवं पारगमन

7. मादक द्रव्यों / ई०एन०ए० / औद्योगिक अल्कोहल का परिवहन एवं पारगमन (1) बिहार राज्य से बाहर किसी स्थान से बिहार के बाहर किसी स्थान पर सड़क द्वारा यदि मादक द्रव्य या ई०एन०ए० / औद्योगिक अल्कोहल का पारेषण परिवहित किया जा रहा हो तो आयुक्त उत्पाद द्वारा घोषित प्रवेश बिन्दु अथवा निकास बिन्दु से ऐसे पारेषण को अनिवार्यतः गुजरना होगा। चालक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो वाहन का प्रभारी हो प्रवेश के समय प्रपत्र–EL-3(क) में आवेदन जमा करने के पश्चात् प्रपत्र– EL-3(ख) में ऐसे प्रवेश बिन्दु पर पारगमन पास प्राप्त करेगा।

(2) प्रपत्र— EL-3(ख) में निर्गत पारगमन पास संबंधित चालक अथवा वाहन का प्रभारी बिहार राज्य के गंतव्य के अन्तिम निकास बिन्दु पर प्रथम प्रवेश स्थल के तिथि एवं समय से 24 घंटे के अंदर प्रत्यर्पित करेगा। इसमें असफल होने पर चालक अथवा वाहन का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम के अध्याय—VI के प्रावधानों के अधीन दण्ड का भागी होगा।

(3) प्रत्येक ऐसा वाहन, जो बिहार राज्य से होकर पारगमन कर रहा हो, राज्य में प्रवेश करने पर, पारगमन पारक निर्गत करने के समय, उत्पाद आयुक्त द्वारा यथाविहित फीस के भुगतान पर अपने खर्च से जी0पी0एस0 समर्थित डिजिटल लॉक लगवायेगा।

(4) मादक द्रव्यों को बोतल बंद करने के लिए खाली बोतलों का परिवहन अथवा बिहार राज्य की सीमा से परिवहन डिजिटल लॉक युक्त वाहन से किया जायेगा। विफल होने पर अधिनियम के अध्याय– VI के प्रावधानों के अधीन दण्ड का भागी होगा।

(5) अधिनियम की धारा–73 के अधीन किसी अधिकारी को परिवहन को अवरोधन करने की शक्ति होगी, चालक अथवा वाहन का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति को प्रवेश चेक पोस्ट पर निर्गत परिगमन पास और अन्य कागजात जो पारेषण से संबंधित हो की मॉग कर सकता है, और उस पर यथोचित संदेह होने पर वाहन को विलंबित, पूछताछ एवं जॉच कर सकता है और ऐसे जॉच एवं पूछताछ में आयुक्त उत्पाद के निर्देश, अथवा अधिनियम के प्रावधान अथवा इस नियमावली का उल्लंघन पाये जाने पर कागजात, सवारी, जानवर अथवा मादक द्रव्य को जब्त

कर सकेगा, और अधिनियम के अध्याय– VI के अधीन कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा। 8. वहन या परिवहन में वाहनों का दुर्घटना या खराब होने के संबंध I–(1) मादक द्रव्य ले जाने वाले वाहन या सवारी की दुर्घटना या खराब हो जाने पर चालक या वाहन प्रभारी या वाहन मालिक घटना की जानकारी निश्चित रूप से शीघ्र ही स्थानीय उत्पाद पदाधिकारी/पुलिस अधिकारी को देगा। इसमें कोई अनावश्यक विलम्ब होने पर उसके द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा।

(2) जब किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी घटना की जानकारी प्राप्त हो जाय तो वह तुरंत रथानीय मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग के अधिकारी को रिपोर्ट प्रतिवेदित करेगा, जो ऐसे सूचना की प्राप्ति पर घटना स्थल का शीघ्र अवलोकन करेगा तथा यदि मादक द्रव्य की क्षति हुई हो तो स्थल का फोटोग्राफ लेकर मादक द्रव्य के क्षति का विवरणी तैयार करेंगा।

3) इसके बाद उत्पाद अधिकारी विस्तृत वस्तु तालिका तैयार करेगा और संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद को एक प्रतिवेदन सुपूर्द करेगा। यदि मालिक द्वारा मादक द्रव्य को किसी अन्य सवारी में अंतरित करना संभव न हो अथवा यदि वह मादक द्रव्यों का स्कंध प्राप्त नहीं करना चाहता हो तो सहायक आयुक्त उत्पाद / अधीक्षक उत्पाद के प्रतिवेदन

पर ऐसे स्कंध को समाहर्त्ता द्वारा राज्यसात कर लिया जायगा और अधिनियम के प्रावधान के अनुसार विनष्ट कर दिया जाएगा।

अध्याय–5

औद्योगिक अल्कोहल का भंडारण तथा ताला बंद करना ।

9. औद्योगिक अल्कोहल का भंडारण।— (I) औद्योगिक अल्कोहल का भंडागार में भंडारण किया जाएगा तथा अधिकृत उत्पाद पदाधिकारी के द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जायेगा।

(II) भंडारण क्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि केवल आयुक्त उत्पाद की सम्यक् अनुमति के बाद की जाएगी।

10. औद्योगिक अल्कोहल के सैम्पल (नमूना) का संग्रहण।— (1) अधिनियम की धारा— 6 में प्रावधानित कोई अधिकारी विश्लेषण के लिए औद्योगिक अल्कोहल का नमूना (सैम्पल) लेने के लिये सक्षम होगा। नमूने तीन प्रतियों में अनुज्ञप्तिधारक या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लिए जाएंगे तथा ऐसे नमूने, विनिर्माता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में नमूने के लेबल पर उनके हस्ताक्षर से तात्कालिक रूप से और सुरक्षित रूप से सीलबंद किए जाएंगे। इस प्रकार संग्रहित नमूने का एक बोतल विनिर्माता को अथवा उसके प्रतिनिधि को हस्तगत करा दिया जाएगा, द्वितीय नमूने का बोतल रसायन परीक्षक को विश्लेषण के लिए प्रेषित

कर दिया जाएगा और तृतीय नमूना को उत्पाद कार्यालय के भंडार में रख लिया जाएगा। जब अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रतिनिधि किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो अथवा किसी कारण से लेबल पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, उस स्थिति में नमूना उत्पाद अधिकारी द्वारा संग्रहित किया जाएगा एवं लेबल पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। इस आशय की टिप्पणी अग्रसारण पत्र में अंकित कर अग्रसारित किया जाएगा।

(2) जहाँ नमूना रासायनिक परीक्षण में विहित विशिष्टियों को संपुष्ट नहीं करता हो विनिर्माता अधिनियम के अध्याय– VI के अधीन दण्डात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेवार होगा और जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश नहीं हो, छः माह के पश्चात् नमूना को आयुक्त उत्पाद द्वारा विर्निदिष्ट रीति से विनष्ट कर दिया जाएगा;

अध्याय–6

छावनी क्षेत्र मामले ।

11. सी०एस०डी० (कैंटीन भंडार विभाग) कैंटीन हेतु सैनिक पारेषण।– (1) सभी मादक द्रव्य, जो सैन्य बलों द्वारा चलाए जाने वाले सी०एस०डी० कैंटीन के प्रयोजनार्थ एक स्थान से अन्य स्थान पर जाने हेतु अपेक्षित हो, का परिवहन सेना अनुरक्षण में किया जायेगा।

(2) सैनिकों के केवल ऐसे सी0एस0डी0 कैंटीन को किसी मदिरा या मादक द्रव्य को भंडारण करने की स्वीकृति दी जाएगी जो छावनी अधिनियम, 2006 के अधीन सक्षम अधिकारी

द्वारा अधिसूचित छावनी क्षेत्र, मिलिट्री स्टेशन और एयरफोर्स स्टेशन के भीतर अवस्थित हो। (3) सैन्य बल के किसी कर्मी अथवा सैन्य बलों का किसी सेवानिवृत कर्मी को छावनी अधिनियम, 2006 एवं अन्य अधिसूचना के अधीन घोषित छावनी क्षेत्र, मिलिट्री एवं एयरफोर्स स्टेशन के बाहर मदिरा का उपभोग करने अथवा लेकर जाने अथवा रखने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(4) ऐसे स्थानों पर परिवहन, संग्रहण और लेखा संधारण हेतु विभाग आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करेगा।

अध्याय–७

अधिहरण तथा निपटारा ।

12. <u>परिसर की सीलबंदी।— (क)</u> (i) किसी परिसर (विशेष या कोई हिस्सा) में अधिनियम के तहत यदि कोई अपराध किया गया हो या किया जा रहा है, तो अधिनियम की धारा— 73 के अधीन प्रावधानित कोई अधिकारी, तत्काल उस परिसर (विशेष या कोई हिस्सा) को सीलबंद करने की कार्रवाई कर सकते हैं।

तत्काल से यहाँ अभिप्राय है कि छापामारी के क्रम में ही सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने के 24 घंटे के अन्दर ही सीलबंदी की जाएगी।

(ii) सीलबंद की कार्रवाई की सूचना सीलबंदी के 24 घंटे के अन्दर कलक्टर को दी जाएगी।

(iii) यदि प्रयुक्त परिसर अस्थायी संरचना हो, जिसे प्रभावी ढ़ंग से सीलबंद नही किया जा सकता हो, तो पुलिस पदाधिकारी/उत्पाद पदाधिकारी, यथाशीघ्र कलक्टर से आदेश प्राप्त कर अस्थायी संरचना को ध्वस्त करने की कार्रवाई करेंगे।

(iv) किसी परिसर अथवा उसके हिस्से जहां किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, बोतलबंद, वितरण, संग्रहण, भण्डारण, खरीद–बिक्री, आयात–निर्यात अथवा परिवहन किया जाता है अथवा किया जा रहा हो, ऐसे परिसर को पूर्णतः सीलबंद किया जएगा।

(v) जहाँ तक संभव हो निजी आवासीय परिसर का वो भाग जिसका उपयोग अपराध करने के लिये किया जा रहा हो, को केवल सीलबंद किया जाएगा न कि पूर्ण परिसर अथवा पूर्ण आवास को।

(vi) जहाँ कोई आवासीय परिसर अथवा उसका भाग दूसरे व्यक्तियों को मादक द्रव्यों के उपभोग की सुविधा प्रदान करने के लिये उपयोग किया जा रहा है, वैसे परिसर को अनिवार्यतः सीलबंद किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:— विभिन्न स्वामित्व वाले बहु इकाई से युक्त परिसर के मामले में सिर्फ वैसे विशिष्ट इकाई की सीलबंदी की जायेगी जहाँ अपराध कारित किया गया हो।

(ख) परिसर एवं अन्य सम्पत्तियों का अधिहरण।– (i) पुलिस पदाधिकारी/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा अधिहरण के योग्य किसी परिसर या उसके किसी हिस्से अथवा किसी सम्पत्ति के अधिहरण प्रस्ताव प्राप्त होने पर, कलक्टर उक्त परिसर अथवा सम्पत्ति के स्वामी (स्वामियों) को नोटिस जारी करेगा।

(ii) कलक्टर द्वारा निर्गत किये जाने वाले उक्त नोटिस का तामिला, उस रीति से किया जायेगा, जो सम्मन तामिला के लिए दंड प्रक्रिया सहिता, 1973 में उपबंधित है।

(iii) कलक्टर उक्त परिसर के स्वामी (स्वामियों) को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेंगे। अनुसंधानकर्ता / जाँच पदाधिकारी को भी इस सुनवाई में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।

(iv) यदि वह व्यक्ति जिसे विधिमान्यतः नोटिस तामिला हुआ है, सुनवाई के लिये निर्धारित लगातार दो तिथियों को उपस्थित होने में असफल होता है तो अधिहरण प्राधिकार एक पक्षीय आदेश पारित करने के लिये अग्रसर होंगे।

(v) पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, यह संतुष्ट होने पर, कि अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है या नहीं, समाहर्त्ता, सीलबंद / जब्त परिसर अथवा सम्पत्ति, के संबंध में अधिहरण अथवा सील खोलने जैसा हो उचित आदेश पारित करेंगे।

(vi) समाहर्त्ता, प्रभावित पक्षकार/पक्षकारों की उपस्थिति की तिथि से 90 दिनों के अन्दर साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए तार्किक आदेश पारित करेंगे।

(vii) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति इस नियमावली में विहित रीति से अपील दायर कर सकेगा।

13 जानवर, वाहन, जलयान या अन्य सवारी की जब्ती।— (क) () इस अधिनियम की धारा— 73 के अधीन प्रावधानित कोई अधिकारी अवरोधन या जॉच के क्रम में किसी जानवर, वाहन, जलयान या अन्य सवारी को किसी मादक पदार्थ या शराब को ढोने के उपयोग में पाता है, तो वैसे जानवर, वाहन, जलयान को जब्द करेगा और नजदीकी पुलिस थाना/उत्पाद कार्यालय जिसके क्षेत्राधिकार में जब्दी की कार्रवाई की गयी है, में जब्दी सूची के साथ कांड दर्ज करने हेतु प्रस्तुत करेगा।

(II) कांड संस्थित होने के पश्चात् 30 दिनों के अंदर जब्त जानवर, वाहन, जलयान की अधिहरण हेतु अधिहरण प्रस्ताव जिला परिवहन पदाधिकारी या कोई अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी जो वाहन के रजिस्ट्रेशन संख्या को जॉच कर सके, से प्रतिवेदन प्राप्त करके तथा उत्पाद रसायन परीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न कर जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अधिहरण

प्रस्ताव विलंब से उपस्थापित करने की स्थिति में पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी विलंब का कारण स्पष्ट करेगा।

(ख) वाहन, जलयान या अन्य सवारी के अधिहरण।— (I) समाहर्त्ता, पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी के द्वारा वाहन अथवा अन्य सवारी के अधिहरण प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित वाहन अथवा अन्य सवारी के स्वामी को कारण पृच्छा नोटिस करेगा।

(II) समाहर्त्ता द्वारा निर्गत ऐसे नोटिस का तामिला द्र.प्र.स., 1973 में वर्णित सम्मन तामिला प्रक्रिया के अनुरूप होगी;

(III) समाहर्त्ता, संबंधित वाहन मालिक को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। अनुसंधानकर्त्ता / जॉचकर्त्ता को भी सुनवाई हेतु अवसर दिया जायेगा।

(IV) समाहर्त्ता द्वारा सुनवाई की 02 (दो) नियत तिथि को अगर वैध तरीके से नोटिस तामिला कराये गये व्यक्ति उपस्थित होने में असफल रहता है तो समाहर्त्ता द्वारा एक पक्षीय आदेश दिया जा सकेगा।

(V) समाहर्त्ता द्वारा दोनों पक्षों के सुनने के बाद यदि आश्वस्त होता है कि इस अधिनियम के तहत अपराध कारित किया गया है तो वह जब्त वाहन, जलयान या अन्य सवारी के संबंध में उचित आदेश पारित कर सकेगा।

(VI) कलक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपील दायर करेगा।

14. जब्त वस्तुओं / अधिहृत वस्तुओं का निपटारा। – कलक्टर के द्वारा जब्त / अधिहृत वस्तुओं का निपटारा कलक्टर के आदेश से निम्न रीति से हो सकेगाः–

(1) अगर कलक्टर संतुष्ट है कि जब्त कोई वस्तु प्राकृतिक रूप से तेजी से क्षरण योग्य है अथवा तुच्छ मूल्य का है अथवा जिसका दुरूपयोग हो सकता है, अधिनियम की धारा– 57 में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिहरण आदेश के पूर्व विनष्टीकरण का आदेश दे सकेगें।

(2) अधिहृत जानवर/वाहन/जलयान/अन्य सवारी/परिसर अथवा उसका भाग सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा जाएगा और अधिहरण पदाधिकारी के आदेश की अंतिमता स्थिति प्राप्ति के एक माह के अन्दर अथवा ऐसी विस्तारित अवधि जिसे समाहर्त्ता उचित समझे के अन्दर उच्चतम बोली लगाने वाले को बेच दिया जाएगा अथवा निर्धारित प्रक्रिया के तहत सरकार के उपयोग के लिये रखा जाएगा।

स्पष्टीकरणः— अंतिमता शब्द से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा— 92 के अधीन आयुक्त उत्पाद द्वारा पारित आदेश की तिथि।

अध्याय–8

बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी भूमिका।

15. बीoएसoबीoसीoएलo (बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड)। – बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संरक्षण में कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन, संपूर्ण मद्यनिषेध को बढावा देने, प्रोत्साहन प्रदान करने, सुविधाएं शुरू करने तथा विभाग से संबंधित अन्य कार्यो के लिए निगमित एक कम्पनी है।

16. बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमिका I—(1) संपूर्ण मद्यनिषेध के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉ0 लि0 क्रियान्वयन ऐजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

(2) बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉo लिo पूर्ण मद्यनिषेध के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रवर्तन आधारभूत संरचना को क्रियान्वित तथा मजबूत करने के लिए भी जिम्मेवार होगा।

(3) यह स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों को वैसे स्थानों पर, जिस स्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा नशामुक्ति केन्द्र स्थापित करने का समय–समय पर निर्णय लिया जाय, में समर्थन तथा सहायता भी करेगा।

(4) बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉo लिo राज्य में स्वैच्छिक मद्यनिषेध को भी प्रोत्साहित करेगा तथा ऐसे संगठनों, स्वयं सेवा संस्थाओं, व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, महिला समूह को नई उत्पाद नीति, 2015 के प्रावधानों के अनुसार इनाम देगा। बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉo लिo जागरूकता अभियान और स्वैच्छिक मद्यनिषेध हेतु बढ़ावा देने वाले विज्ञापन की भी जिम्मेवारी लेगा और नशा की बुराईयों के प्रति सामाजिक जागरूकता सृजित करने हेतु विभिन्न स्तर के कार्यक्रमों की जिम्मेवारी लेगा।

(5) बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉo लिo, चेक पोस्ट, बैरियर, हाजत और मालखाना, वाहन, सवारी, मानवशक्ति, आईoटीo उपकरण लगाने और अन्य ऐसी सहायता जिसकी अपेक्षा समाहर्त्ता को हो, देने में पर्याप्त वित्तीय तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध करके मद्यनिषेध शासन प्रणाली का उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने में समाहर्त्ता को समर्थन और सहायता भी देगा।

अध्याय–9

इनाम और प्रोत्साहन ।

17. नकद इनाम।—(1) सरकारी सेवकों को नकद इनाम— विभाग, अपनी निधि से विभाग के कर्मी को, जिन्होंने मद्यनिषेध शासन प्रणाली का प्रवर्तन करने में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया हो, नकद इनाम देगा या घोषित करेगा।

(2) सूचक को नकद इनाम — विभाग ऐसे सामान्य नागरिकों को, जो मादक द्रव्य/अवैध शराब की अच्छी जब्ती सुनिश्चित करने में मदद करते हों, इनाम देने का प्रावधान भी कर सकेगा। (3) मद्यनिषेध पदक – विभाग किसी पुलिस या मद्यनिषेध अधिकारी द्वारा किये जाने वाले अच्छे कार्य के लिए मद्य निषेध पदक देने के लिए घोषणा भी कर सकेगा।

(4) विभाग मद्यनिषेध पदक तथा नकद इनाम इत्यादि देने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश दे सकेगा।

अध्याय–10

गिरफ्तारी एवं अभियोजन की प्रक्रिया।

18. अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, गिरफ्तारी, अन्वेषण, आरोप पत्र समर्पण, पर्यवेक्षण आदि हेतु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और बिहार पुलिस हस्तक में यथोल्लिखित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

अध्याय–11

जमानतीय अपराधों में जमानत देने की प्रक्रिया ।

19. अधिनियम की धारा 37 की उप धारा (1) के अधीन प्रथम बार किया गया अपराध तथा धारा 54 (2) के अधीन अपराध की दशा में जमानत।

अधिनियम की धारा 37 की उप धारा (1) के अधीन प्रथम बार किया गया अपराध तथा धारा 54 की उप–धारा (2) के अधीन अपराध की दशा में जमानत के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436 के उपबंध लागू होंगे। पहचान स्थापित करने हेतु जमानत पर मुक्त किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा बंध पत्र के साथ अपना वैध फोटो पहचान पत्र संलग्न किया जाएगा।

अध्याय–12

अपील एवं पुनरीक्षण

20. अपील एवं पुनरीक्षण।–(1) धारा–92 के अधीन प्रत्येक अपील उस प्राधिकारी को, जिसके पास अपील होगी, संबोधित संक्षिप्त एवं बोधगम्य भाषा में तैयार की गई अर्जी के रूप में की जाएगी जिसमें अपीलार्थी अथवा उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिवक्ता का हस्ताक्षर या निशान होगा।

(2) अपील अर्जी में निम्नलिखित विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट होगी :--

(क) अपीलार्थी का नाम, पिता का नाम, पेशा, तथा आवासीय अथवा व्यवसाय का पता;

(ख) जिस आदेश के विरूद्ध अपील किया गया हो उसकी तिथि;

(ग) एक संक्षिप्त तथ्य–विवरण;

(घ) जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई हो उसके संबंध में आपत्ति के आधार;

(3) अर्जी के साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उस आदेश की मूल अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

21. अपील सुनवाई ।—(1) अपीलीय प्राधिकार नियमित सुनवाई के लिए एक तिथि नियत करेगा और उसके लिये नोटिस प्रेषित करेगा। (2) यदि अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपीलार्थी स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई की नियम तिथि को उपस्थित नहीं होता है; प्राधिकारी अभिलेख के आधार पर अपील का एक पक्षीय निर्णय ले सकेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकार प्रभावित पक्षकार की निर्धारित तिथि पर उपस्थिति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर तार्किक आदेश पारित करेगा।

22. अपील की नामंजूरी।—(1) यदि अपीलअर्जी नियम 20 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती हो उसे नामंजूर किया जा सकता है;

परंतु कोई अपील इस नियम के अधीन तबतक नामंजूर नहीं की जाएगी जबतक अपीलकर्त्ता को सुनवाई का ऐसा अवसर न दिया गया हो, जिसे अपीलीय प्राधिकार उचित समझे जिससे उक्त नियम की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु वह समर्थ होता।

(2) कोई अपील, अन्य आधारों पर भी जिसे अपीलीय प्राधिकार द्वारा लिखित रूप में व्यक्त किया जाएगा, नामंजूर किया जा सकेगाः

परंतु इस उप नियम के अधीन अपील नामंजूर करने वाला आदेश दिया जाता है तो अपीलकर्त्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

23. आदेश की प्रति का दिया जाना।—अपील में पारित आदेश की एक प्रति अपीलकर्त्ता को मुफ्त और अन्य प्रति उस अधिकारी को भेज दी जायगी जिसका आदेश प्रारूप अपील का विषय हो।

24. पुनरीक्षण दाखिल करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।–अपील के लिए विहित प्रक्रिया पुनरीक्षण के लिए भी लागू होगी।

(i) विभागीय सचिव पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करेगें।

(ii) नियमित सुनवाई के लिये तिथि नियत की जाएगी।

(iii) यदि पुनरीक्षण प्राधिकार के समक्ष पुनरीक्षण आवेदनकर्त्ता स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई की नियत तिथि को उपस्थित नहीं होता है; प्राधिकारी अभिलेख के आधार पर पुनरीक्षण का एक पक्षीय निर्णय ले सकेगा।

(iv) पुनरीक्षण प्राधिकार प्रभावित पक्षकार की निर्धारित तिथि पर उपस्थिति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर तार्किक आदेश पारित करेगा।

अध्याय–13

प्रकीर्ण ।

25. निरसन एवं व्यावृति ।—(1) उस तिथि के तात्कालिक प्रभाव से जिस तिथि को यह नियमावली प्रवृत अधिसूचना संख्या 470 एफ दिनांक 15 जनवरी, 1919, अधिसूचना संख्या—471एफ दिनांक 15 जनवरी, 1919, बिहार मशालेदार देशी शराब (विनिर्माण एवं विक्रय) नियमावली, 1976, बिहार देशी शराब बोटलिंग नियमावली, 2004, बिहार उत्पाद (देशी शराब, मशालेदार देशी शराब/विदेशी शराब/वीयर और मिश्रित शराब दूकान) नियमावली, 2007, बिहार बीयर (आयात और विक्रय) नियमावली, 2000, बिहार शराब (मूल्य निर्धारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 1994 निरसित समझी जाएंगी।

(2) किसी ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपनियम–(1) द्वारा निरसित नियमों के अधीन किया गया कुछ भी या की गई या किए जाने हेतु आशयित कोई कार्रवाई अथवा दी गई कोई अनुज्ञप्ति, जहाँ तक इस नियमावली या अधिनियम से असंगत न हों, इस नियमावली से संबंधित प्रावधानों के अधीन किया गया, की गई अथवा दिया गया समझा जाएगा

> बिहार राज्यपाल के आदेश से, 24/3/2021

(चैतन्य प्रसाद) सरकार के अपर मुख्य सचिव, बिहार।

फार्म संख्या E.L-1 (क)

(नियम-3 देखें)

भंडारण की संवृद्धि तथा/अथवा प्लांट एंव मशीनरी में बदलाव के लिए आवेदन। तिथिः......

सेवा में,

समाहर्त्ता,

महाशय,

मैं, विनिर्माणशाला का स्वत्वधारी औद्योगिक अल्कोहल / कच्चेमाल / छोआ की भंडारण क्षमता की संवृद्धि / हास हेतु निम्नांकित की अनुमति चाहता हूँ।

> 1. 2. 3.

> > 1.

और अथवा

विद्यमान प्लांट और मशीनरी को बदलने/जोड़ने/हटाने हेतु निम्नांकित की अनुमति चाहता हूँ।

2.
 3.
 मैं ले आउट प्लान तथा अभियंत्रण डिजाइन का प्रारूप संलग्न कर रहा हूँ।
 मैं भंडारण क्षमता में प्रस्तावित संवृद्धि के सभी ब्यौरे संलग्न कर रहा हूँ।

अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त के लिए अनुमति दी जाय।

आपका विश्वासभाजन (स्वत्वधारी का नाम)

फार्म संख्या E.L-1 (ख)

(नियम-3 देखें)

भंडारण की संवृद्धि तथा/अथवा प्लांट एंव मशीनरी में बदलाव हेतु अनुमति।

पत्रांकः.....

दिनांकः.....

सेवा में,

मेसर्स-----

कृपया अपने आवेदन दिनांक..... का निर्देश किया जाय। निम्नलिखित भंडारण की संवृद्धि तथा ⁄ अथवा प्लांट एंव मशीनरी में बदलाव हेतु आपके अनुरोध को स्वीकार किया जाता है।

> 1. 2.

> > (समाहर्त्ता)

फार्म संख्या E.L-2 (क) (नियम—4 देखें)

बिहार राज्य में विनिर्मित औद्योगिक अल्कोहल/मादक द्रव्य का निर्यात, परिवहन और पारगमन की अनुमति हेतु आवेदन।

आवेदन की तिथिः.....

आवेदक / प्राधिकृत हस्ताक्षारकर्त्ता का हस्ताक्षर ।

फार्म संख्या E.L-2 (ख)

(नियम-4 देखें)

बिहार राज्य में विर्निमित औद्योगिक अल्कोहल और मादक द्रव्य का निर्यात, परिवहन के लिये परमिट, पास आदि की स्वीकृति।

निर्यात पारक

पारव	ह संख्या तक
निर्ग	म तिथि
(1).	श्री/मेसर्स के औद्योगिक अल्कोहल अथवा मादक द्रव्य (ई0एन0ए0/
	संशोधित सुषव/विकृत सुषव) को जिले के आसवनी (नाम एवं पता) से
	भंडागार (नाम एवं पता) तक निम्नलिखित मार्ग से
	निर्यात/परिवहन की अनुमति दी जाती है।
(2).	आयात पारक सं0 की तिथि और जिला का नाम
(3).	औद्योगिक अल्कोहल (ई०एन०ए०/संशोधित सुषव/विकृत सुषव) की मात्रा एवं शक्ति
	बी०एल० शक्ति ।
(4).	यह पारक अनंतरणीय है। यह निर्गत तिथि से दिनों के लिये वैध
	रहेगा।
	आयुक्त उत्पाद
	संचलन पास
निर्गम	न तिथि वैद्यता की तिथि
संचल	नन पास सं0
(1)	आयात पारक सं० और तिथि और परेषिती का नाम एवं पता
(2)	निर्यात पारक सं० और तिथि और परेषक का नाम एवं पता
(3)	संचलन का मार्ग
(4)	औद्योगिक अल्कोहल (ई०एन०ए०/संशोधित सुषव/विकृत सुषव) की मात्रा एवं शक्ति
	बी०एल० शक्ति ।

आसंवनी के निर्गमन प्राधिकारी का हस्ताक्षर

वापसी पास/निर्यात का सत्यापन प्रमाण पत्र

पास वापसी की तिथिः....

(1) परेषण की प्राप्ति की तिथि.....

(2) परेषण की जॉच की तिथि.....

(3) परेषण की भंडारण की तिथि.....

(4) परेषिती द्वारा प्राप्त किये गए औद्योगिक अल्कोहल अथवा मादक द्रव्य (ई0एन0ए0 / संशोधित सुषव / विकृत सुषव) का विवरण शक्ति...... बी0एल0 प्राप्त।

(5) अभ्युक्ति (यदि कोई हो).....

प्राप्ति भंडागार के अधिकारी का हस्ताक्षर नाम..... पदनाम..... पता.....

प्राप्त वापसी पास/निर्यात सत्यापन प्रमाण पत्र

(1) वापसी पास प्राप्त होने की तिथि.....

(2) परेषिती द्वारा प्राप्त एवं भंडारित किए गए औद्योगिक अल्कोहल अथवा मादक द्रव्य (ई0एन0ए0/संशोधित सुषव/विकृत सुषव) का विवरण...... शाक्ति...... शाक्ति..... बी0एल0 प्राप्त।

(3) अभ्युक्ति (यदि कोई हो).....

आसवनी के निर्गत करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

यह पारक संबंधित निर्यातक के प्राधिकृत व्यक्ति को सौपा जायेगा, जो इसे आसवनी के प्रभारी पदाधिकारी को समर्पित करेगा। निर्यातक आसवनी के प्रभारी पदाधिकारी संचलन पास निर्गत करेगा, जो निर्यात पारक में वर्णित है। प्राप्ति भंडागार के प्रभारी पदाधिकारी वापसी पास निर्गत करेगा, जो पारक में वर्णित है और निर्यातक आसवनी के प्रभारी पदाधिकारी निर्यात पारक में वर्णित प्रपत्र में विवरण की संविष्टी करेगा।

फार्म संख्या E.L-3 (क) (नियम–7 देखें)

औद्योगिक अल्कोहल (ई0एन०ए०/संशोधित सुषव/विकृत सुषव) मादक द्रव्यों/छोआ/पैकींग सामग्री आदि को ढोने वाले वाहन/कन्टेनर/टैंकर हेतु संचलन पास का आवेदन।

आवे	दन की तिथिः—
(1)	श्री/मेसर्स निम्नलिखित मार्ग से संचलन पास की अनुमति चाहते है.
	(क) प्रवेश बिन्दु / चेकपोस्ट
	(ख) निकास बिन्दु / चेकपोस्ट
(2)	परिवाहक का नाम
(3)	परिवहन पास सं0 तक वैध है और उसकी
	प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है।
(4)	परेषण का विवरण
(5)	परेषण का उदगम
(6)	परेषण का गंत्वय स्थान

चालक का हस्ताक्षर चालक का नाम..... पता..... चालक की अनुज्ञपित सं0......

फार्म संख्या E.L-3 (ख) (नियम–7 देखें)

औद्योगिक अल्कोहल (ई0एन0ए0/संशोधित सुषव/विकृत सुषव) मादक द्रव्यों/छोआ/पैकींग सामग्री आदि को ढोने वाले वाहन/कन्टेनर/टैंकर हेतु संचलन पास।

पारग	रगमन पारक नं0 तिभि	थः—
(1)		
(2)	निकास स्थल / चेकपोस्ट	
(3)		ड्राइवर लाईसेंस सं0 वाहन
	निबंधन सं0 वाहन का प्र	रकार
(4)	परेषण की विवरणी	
(5)	प्रवेश स्थल से प्रस्थान की तिथि एवं समय	
(6)		डेजिटल लॉक लगाने का समय एवं तिथि
(7)	वैद्यता तिथि	पूर्वाहन / अपराहन तक
(8) (9)	परेषण की विवरणी निक वाहन का आगमन की तिथि एवं समय	
(10)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(11)) अभियुक्ति (यदि कोई हो)	
		निकास स्थल (चेक पोस्ट) के प्राधिकृत पदाधिकारी
	नोटः– बिहार राज्य के प्रथम चेक पोस	ट पर आगमन से वाहन निर्धारित 24 घंटे के
अन्दर	र राज्य के सीमा से निकास करेगी। निर्धारि	त समय सीमा समाप्त होने पर अधिनियम की
अध्यान	ाय VI के तहत कार्रवाई की जायेगी।	0

बिहार राज्यपढि 12021

(चैतन्य प्रसदि)⁷ सरकार के अपर मुख्य सचिव, बिहार।

9/2021

ज्ञापांक– 11 / उत्पाद नीति–01–03 / 2021 (२२२२) प्रतिलिपिः– ई0–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित) / अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिह्नर गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

> सरकार के अपर मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक- 11/उत्पाद नीति-01-03/2021 4775 पटना, दिनांक 24^09121 प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना के सूचनार्थ एवं आवज्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/2021 सरकार के अपर मुख्य सचिव,

बिहार।

ज्ञापांक- 11/ उत्पाद नीति-01-03/2021 4775 पटना, दिनांक <u>२५०७०२</u>

प्रतिलिपिः– आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद / सभी अधीक्षक उत्पाद / उत्पाद रसायन परीक्षक / अपर मुख्य सचिव, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/2021 सरकार के अपर मुख्य सचिव,

बिहार।

सं0–11/उत्पाद नीति–01–03/2021 4775.../ उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद) सरकार के अपर मुख्य सचिव, बिहार।

Government of Bihar

Prohibition, Excise and Registration Department

NOTIFICATION

Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021

No. 11/Utpad Niti-01-03/2021.47775.....In exercise of the powers conferred under Section- 95 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 the Government of Bihar is pleased to make the following rules:-

Chapter 1

Preliminary – Definitions

- 1. Short title, extent and commencement- (1) These rules may be called "The Bihar Prohibition and Excise Rules, 2021".
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) These rules shall come into force on the day of its publication in the official gazette.

- 2. Definitions- In these rules, unless otherwise required in the context:
 - "The Act" means the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 (Act 20 of 2016)(as amended from time to time);
 - (2) "Agency or Agent" means, individual firm/government institutions selected by the State Government for the purpose of procurement of Excise Hologram/Adhesive labels/ GPS enabled Digital lock;
 - (3) "Bulk litre" means a litre with reference to the bulk or quantity of the contents;
 - (4) "Chemical Examiner" means the officer appointed by the Government as chemical examiner to the Excise Chemical Laboratory, Forensic Science Laboratory, the Central Revenue Control Laboratory or the Central Forensic Science Laboratory, and also includes the deputy chemical examiners of the above laboratories or any other laboratory declared by the Excise Commissioner after due approval of the Department;
 - (5) "Department" means the Department of Prohibition, Excise and Registration, Government of Bihar;
 - (6) "Form" means form prescribed under these rules;
 - (7) "New Excise Policy" means the policy duly framed by the State Government and published vide gazette notification no. 3893 dated 21-12-2015;
 - (8) "Person" includes an individual, Hindu undivided family, partnership firm, cooperative society, and company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
 - (9) "Section" means the section of the Act;
 - (10) "Year" means the year beginning with 1st April and ending with 31st March of subsequent year.

Chapter 2

Regulation of Manufactories.

- **The manufactories of Industrial Alcohol-** (1) The manufactories shall obey the regulations and directives issued by the State Government in furtherance of New Excise Policy and complete prohibition.
 - (2) The manufactories shall observe all the guidelines of the State Pollution Control Board.
 - (3) No manufactory shall make any alteration in the plant or add or remove any other permanent apparatus/plant/machinery without the prior approval of the Excise Commissioner. Such application for alteration, addition or replacement must be routed through the Collector. An application for such alteration shall be made in Form EL-1A. The Collector shall issue the permission in Form EL – 1B after receiving approval from the Excise Commissioner. The alteration approved by the Excise Commissioner will be entered into the map.
 - (4) Proprietor of every manufactory must give 15 days prior notice in writing to the Collector of the date on which he proposes to commence operations and at least one month prior notice before closure of its operations.

4. Grant of permits, passes etc. for export, transportation and transit of Industrial Alcohol and Intoxicants manufactured within the State of Bihar-

The movement or transportation of Industrial Alcohol and Intoxicants manufactured within the State of Bihar shall be regulated in the following manner:-

- (i) An export permit may be issued after the manufacturer produces a valid import permit to the Excise Commissioner. Upon receipt of the import permit and an application in form EL-2A, the Excise Commissioner shall consider giving an export permit valid up to a period of one month in form EL-2B.
- (ii) Consequent upon the issue of export permit, the Excise Officer deputed at the manufacturing unit shall be competent to issue movement pass on the date of movement authorizing the manufacturer to move the required quantity of industrial alcohol or intoxicants from the manufacturing point to the destination. The pass so issued shall have validity up to the remaining period of export permit.

- (iii) The Excise officer deputed at the manufacturing unit shall ensure that the movement of industrial alcohol is only in a GPS enabled digitally locked vehicle.
- (iv) There shall be no fee for issuance of any movement pass.
- (v) The Excise Commissioner shall be competent to change the above procedure after due approval of the Department as and when the systems are made online or for any other purpose.
- **5.** Power to amend Forms, Formats etc.- The Excise Commissioner shall be empowered, after approval of the Department, to prescribe, change, amend or delete any form, formats etc in order to make the entire Prohibition and Excise regime "online" or for any other purpose.

Chapter 3

Grain Based Distilleries.

- 6. ENA and Ethanol Producing Grain Based Distilleries- If any grain based distillery is producing ENA or Ethanol, such distillery shall abide by the following conditions:-
 - (i) The manufacturer company/distillery shall not act in any manner prejudicial to the Government's Prohibition policy.
 - (ii) The distillery shall neither manufacture potable alcohol nor convert the ENA or Ethanol to potable alcohol.
 - (iii) All the consignments, be it raw material or the final product, entering in or exiting out of the distillery premises shall be transported in GPS enabled digitally locked containers.
 - (iv) The Excise Commissioner shall appoint excise officers and other functionaries as he thinks fit at the distillery for compliance of the provisions of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 and rules made there under.
 - (v) It shall be duty of the proprietor of the distillery to install CCTV camera systems for round-the-clock surveillance of the premises and surrounding areas to capture the movement of vehicles entering and exiting the distillery. The data of the same should be stored atleast for a period of one month for the use of the inspecting authority.
 - (vi) The ENA or Ethanol, if produced/manufactured by a manufacturer company/distillery, shall be subject to periodical chemical analysis by or under the specific or general orders of Excise Commissioner or Collector, and the manufacturer company shall take steps to remedy any defects in the quality thereof to the satisfaction of the Excise Commissioner.

- (vii) The manufacturer company shall be bound to make such arrangements as may be prescribed in writing by the Excise Commissioner or Collector for the disposal of effluents, waste matter and refuse.
- (viii) The distiller shall keep accurate and regular daily accounts showing
 - (a) The quantity and description of materials used.
 - (b) quantity of wash and Industrial alcohol manufactured.
 - (c) quantity of wash used.
 - (d) quantity of Industrial alcohol passed out
 - (e) quantities of wash and Industrial alcohol in store.
 - (f) quantities of by-products such as impure spirit in store.
 - (g) quantity of denaturants used and in store.
- (ix) The manufacturer company, in compliance of judgement dated 14.07.2017 passed in SLP(C) 16828-16831/2017, shall be bound to undertake that it shall neither manufacture potable alcohol, nor convert the industrial alcohol to potable alcohol and additionally will not submit any application for renewal of licence for manufacture of potable alcohol.

(x) The breach, non-performance or non-observance by the manufacturer company/distillery or his agent of any of the conditions specified by the Excise Commissioner or any provision of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016 or rules framed thereunder, so far as they relate to the manufacture/production of Industrial alcohol, shall be liable for penal action as per the provisions of Chapter VI of the Act.

(xi) The manufacturer company shall be bound by all general or special orders which may be issued by the Excise Commissioner from time to time.

Chapter 4

Transit and Transportation of Intoxicants, ENA/ Industrial Alcohol and empty bottles

7. Transit and Transportation of Intoxicants, ENA/Industrial Alcohol-

(1) If any consignment of intoxicant or ENA/industrial alcohol is being transported by road through the territory of Bihar from a place outside the State of Bihar to another place outside the State of Bihar, it should mandatorily pass through one of the entry points or exit points declared by the Excise Commissioner. The driver or any other person in-charge of the vehicle shall, at the time of entry, obtain a transit pass in Form EL-3B at such entry point upon submission of an application in Form EL-3A.

- (2) The Transit Pass so issued in Form EL-3B shall be surrendered by the concerned driver/person-in-charge of vehicle before exit at the last destined exit point of State of Bihar within a period of 24 Hours from the date and time of issue of Transit Pass at the first entry point. The failure of driver/person in charge in this regard will attract penal provisions of Chapter VI of the Act.
- (3) Every vehicle transiting through the State of Bihar shall, upon entry in the State, at the time of issuance of transit permit, get a GPS enabled digital lock installed in such manner and on payment of such fee as may be prescribed by the Excise Commissioner.
- (4) Empty bottles for the purpose of bottling intoxicants being transported or in transit through the territory of Bihar shall be carried in digitally locked containers. Failure to do so will attract the penal provisions of Chapter VI of the Act.
- (5) Any officer within the meaning of Section 73 of the Act shall have power to intercept the movement, call upon the driver/person-incharge of the vehicle to furnish the transit pass issued at entry check post and any other papers/documents related to transportation of consignment and, upon reasonable suspicion, shall be able to detain, search and inquire into and upon such search and inquiry, on finding violation of any direction of the Excise Commissioner or the provisions of the Act or these Rules, may seize any document, conveyance, animal or intoxicant, and shall be empowered to take action under the provisions of the Chapter VI of the Act.

8. Accidents or breakdown of vehicles in transit or transport

- (1) Should the vehicle or conveyance carrying the intoxicant suffer an accident or breakdown, the driver or the person-in-charge of the vehicle or the owner of the vehicle must inform immediately about the incident to the local Excise Officer/Police Officer. Any unnecessary delay will have to have sufficient explanation.
- (2) When information of such incident is received by a Police Officer, he shall forthwith report the matter to the local officer of Prohibition and Excise Department who, upon receipt of such information, shall immediately visit the accident site and take note of the loss, if any, of the intoxicant along with taking photographs of the site.
- (3) The Excise Officer shall then prepare a detailed inventory and submit a report to the Assistant Commissioner of Excise /Excise Superintendent of the district concerned. If it is not possible for the owner to transfer the intoxicant to some other means of conveyance or if he is unwilling to receive the stock of the intoxicant then, upon the report of the Assistant Commissioner of Excise/Excise Superintendent, the same shall be confiscated by the Collector and destroyed as per provisions of the Act.

Chapter 5

Storage and Locking of Industrial Alcohol

9.

Storage of Industrial Alcohol- (i) Industrial Alcohol shall be stored in warehouses that shall be inspected by the authorized Excise officer on a regular basis.

(ii) Any enhancement of storage capacity shall be made only after due permission of the Excise Commissioner.

10. Collection of samples of industrial alcohol. -

(1) Any Officer within the meaning of Section 6 of the Act will be empowered to take samples of industrial alcohol for analysis. Samples in triplicate shall be taken in the presence of the manufacturer or his authorized representative and such samples shall be immediately and securely sealed in the presence of the manufacturer or his authorized representative with their signature on the label to be affixed on the sample. Out of samples so collected, one bottle of sample shall be handed over to the manufacturer or his representative, the second bottle of sample shall be dispatched to the chemical examiner for analysis and the third sample shall be kept in the store of the local Excise office.

If the manufacturer or his representative is not present or refuses to sign on the label for any reason, then the sample shall be collected by the Excise Officer and the label shall be signed by him/her. The reason for the same shall be noted and forwarded in the forwarding letter.

(2) Where the sample is found not to conform to the prescribed specifications on chemical examination, the manufacturer shall be liable for penal action as per the provisions of Chapter VI of the Act and the samples shall be destroyed after a period of six months in the manner prescribed by the Excise Commissioner unless there is an order to the contrary of a Court of competent jurisdiction.

Chapter 6

Cantonment Area Matters

11. On Military Consignments to CSD (Canteen Stores Department) Canteens etc.-

(1) All the intoxicants that are required to be moved from one place to another for the purposes of CSD Canteen run by the Armed Forces shall be through transport vehicles under army escort.

- (2) Only such CSD Canteens of the Military which are located within the cantonment area, military stations and air force stations notified under the Cantonment Act, 2006 shall be allowed to store any liquor or intoxicants.
- (3) No personnel of the Armed Forces or retired personnel of the Armed Forces shall be allowed to consume or carry or possess liquor outside the cantonment area, military and air force stations so declared under the Cantonment Act, 2006 or any other notification.
- (4) The Department shall issue necessary guidelines for transportation, storage and accounting of stock in such places.

Chapter 7

Confiscation and Disposal.

12. Sealing of Premises- (A) (i) If any offence is or has been committed in any premises (whole or part thereof) under the Act, any officer within the meaning of Section 73 of the Act may immediately seal the premises (whole or part thereof).

Immediately here means that sealing should be done in the course of the raid itself. In any case, sealing shall be done within 24 hours of the institution of First Information Report.

- (ii) Sealing shall be reported to the Collector within 24 hours of the sealing.
- (iii) If the premises used, is a temporary structure which cannot be effectively sealed, the Police Officer/Excise Officer shall, as soon as possible after obtaining the order of the Collector, demolish the temporary structure.
- (iv) Where any intoxicant is or has been manufactured, bottled, distributed, collected, stored, sold, purchased, imported, exported or transported in any premises or part thereof, such premises shall be fully sealed.
- (v) As far as possible, only that portion of private residential premises which has been used for committing offence shall be sealed and not the whole premises or entire residence.
- (vi) Where any residential premises or part thereof is being used to provide facility to consume intoxicant(s) to other persons, such premises shall be compulsorily sealed.
- **Explanation:-** If a premises is consisting of multi unit with different ownership only the specific unit where the offence has been committed shall be liable for sealing.

(B) Confiscation of Premises or other Properties

- The Collector, on receipt of proposal of confiscation of any premises or part thereof or any property liable for confiscation from Police Officer/Excise Officer, shall issue show cause notice to the owner(s) of the premises or property.
- Such notice issued by the Collector shall be served as per procedure prescribed in the Code of Criminal Procedure, 1973 for service of summons.
- (iii) The Collector shall provide reasonable opportunity of hearing to the owner(s) of the premises or property. The Investigating Officer/Inquiry Officer shall also be given opportunity to participate in such hearing.
- (iv) If the person to whom notice has validly been served fails to appear in the proceeding on two consecutive dates fixed for hearing, the confiscating authority shall proceed to pass the order ex-parte.
- (v) The Collector shall, after hearing the parties, pass appropriate order of confiscation or unsealing, as the case may be, with respect to sealed/seized premises or property on the basis of his satisfaction whether an offence has been committed or not in terms of the Act.
- (vi) The Collector shall pass the order of confiscation within 90 days from the date of appearance of the affected party/parties after appreciation of evidences with reasoned order.
- (vii) Any person aggrieved by the order passed by the Collector under the provisions of the Act may file appeal in the manner prescribed under these rules.

13 (A). Seizure of animal/vehicle/ vessel/ other conveyance-

- (i) On interception and search, if an officer within the meaning of Section 73 of the Act finds that any animal, vehicle, vessel or other conveyance is being used for carrying any intoxicant or liquor, then the same shall be seized and forwarded to the nearest police station/Excise Office within whose jurisdiction the seizure has been effected along with seizure list for institution of case.
- (ii) Upon institution of the case, the proposal for confiscation of animal/vehicle/vessel/other conveyance shall be sent to the Collector alongwith due verification report of the District Transport Officer or any authority authorized for the purpose of registration of the conveyance and the report of chemical examiner within 30 days of seizure. In case of delay in submission of the proposal for confiscation, the Police/Excise officer will have to explain the delay.

(B). Confiscation of Vehicles, Vessels or other Conveyances

(i) The Collector, on receipt of proposal for confiscation of any vehicle(s) or other conveyances from Police Officer/Excise Officer, shall issue show cause notice to owner of the said vehicle or the vessel or other conveyance.

- (ii) Such notice issued by the Collector shall be served as per procedure prescribed in the Code of Criminal Procedure,1973 for service of summons.
- (iii) The Collector shall provide reasonable opportunity of hearing to the owner. The Investigating Officer/Inquiry Officer shall also be given opportunity to participate in such hearing.
- (iv) If, on the date fixed for hearing, the person(s) to whom the notice has validly been served fail(s) to appear in the proceeding on two consecutive dates fixed for hearing, the confiscating authority shall proceed to pass the order ex-parte.
- (v) The Collector, after hearing the parties, on satisfaction that an offence has been committed in terms of the Act, shall pass appropriate order with respect to seized vehicle or vessel or conveyance as the case may be.
- (vi) Any person aggrieved by the order passed by the Collector under the provisions of the Act may file appeal in the manner prescribed under these Rules.
- 14. Disposal of seized/confiscated things- The things seized/confiscated by the Collector may be disposed of by the order of Collector in the following manner:-
 - (1) If the Collector, is satisfied that any seized article, is liable to speedy and natural decay or is of trifling value or can be put to misuse, he may, in exercise of power under Section 57 of the Act, order for destruction of the same at any time before passing the order of confiscation.
 - (2) The confiscated Animal/vehicle/vessel/other conveyance/ premises or part thereof shall be put to public auction and sold to the highest bidder within a period of one month from the date of attainment of finality of order of the confiscating authority or such extended period as deemed fit by the Collector or may be put for government use in the manner prescribed.

Expalnation: the word "finality" connotes the date of order of Excise Commissioner passed under Section 92 of the Act.

Chapter -8

BSBCL and its Role.

15. BSBCL (Bihar State Beverages Corporation Limited). - The Bihar State Beverages Corporation Limited is a company incorporated under the Companies Act, 1956 under the aegis of the Prohibition, Excise and Registration Department to provide, encourage and initiate facilities for promoting total prohibition and other works related to the department.

Role of BSBCL.-(1) BSBCL shall act as an implementing agency of the Department with regard to fulfillment of the objectives of total prohibition.

- (2) BSBCL shall also be responsible for implementing and strengthening the enforcement infrastructure in order to achieve the objectives of total prohibition.
- (3) It shall also support and assist Health Department authorities in establishing and operating De-addiction centers at such places as the State Government may decide from time to time.
- (4) BSBCL shall also encourage voluntary prohibition in the State and shall reward such organizations, NGOs, persons, workers, women groups in terms of the New Excise Policy, 2015. BSBCL shall also undertake awareness campaigns and advertising to promote voluntary prohibition and undertake various outrcach programs to generate social awareness about the ills of addiction.
- (5) BSBCL shall also support and assist the Collector in ensuring proper enforcement of total prohibition regime by providing adequate financial and infrastructural support in setting up check posts, barriers, *haajat and maalkhana*, vehicles, conveyance, man power, IT equipment and such other assistance that the Collector may require.

Chapter - 9

Rewards and Incentives.

17. Rewards-

- (1) Cash Rewards to Government Servants The Department may, from its own funds, provide or announce cash reward to the personnel of the Department who have done outstanding work in enforcing the prohibition regime.
- (2) Cash Rewards to informers. -The Department may also make provisions for giving reward to civilians who help in ensuring major recovery of intoxicants and/or illegal liquor.
- (3) **Prohibition Medals.**-The Department may also confer Prohibition Medals for good work done by any Excise officers/Police officers.
- (4) The Department shall make detailed guidelines for conferring cash rewards, Prohibition Medals etc.

Chapter -10

Procedure for Arrest and Prosecution.

Save as otherwise expressly provided in the Act, the provisions of Criminal Procedure Code,1973, Indian Evidence Act, 1872 and the Bihar Police Manual shall be applicable for arrests, investigation, submission of charge sheet, supervision etc.

Chapter 11

Procedure for grant of bail in bailable offences.

19. Bail in case of an offence committed for the first time under sub section (1) of Section 37(1) and offence under Section 54(2) of the Act.

> The provisions of Section 436 of Criminal Procedure Code, 1973 shall be applicable for bail in case of an offence committed for the first time under sub-section (1) of Section 37 and sub-section (2) of section 54 of the Act. To establish the identity of the person to be released on bail, the concerned person has to furnish valid photo identity card along with the bail bond.

Chapter-12

Appeal and Revision

20. Appeal and Revision – (1) Every appeal under Section-92 shall be made in the form of a petition addressed to the authority to whom the appeal lies, shall be drawn up in concise and intelligible language, shall bear the signature or mark of the appellant and his duly authorized lawyer.

(2) The petition of appeal shall contain the following particulars:

- (a) The name, father's name, occupation and place of residence or business address of the appellant;
- (b) The date of order appealed against;
- (c) A brief and precise statement of facts;
- (d) The grounds of objection to the order appealed against.
- (3) The petition shall be accompanied by an original certified of the order appealed against.

Hearing of appeal – (1) The appellate authority shall fix a date for regular hearing and issue notice for the same.

(2) If, on the date fixed for hearing, the appellant does not appear before the appellate authority either in person or through his or

21.

her lawyer, the said authority may decide the appeal ex parte on the basis of material available on record.

- (3) The appellate authority shall pass the Appeal order within 30 days from the date of appearance of the affected Party on appointed date with reasoned order.
- Rejection of appeal (1) If the petition of appeal does not comply with the requirements of rule 20, it may be rejected;

. .

Provided that no appeal shall be rejected under this rule unless the appellant is given such opportunity as the appellate authority thinks fit, so as to enable him to comply with the requirements of the said rule:

(2) An appeal may also be rejected on other grounds, which shall be reduced in writing by the appellate authority.

Provided that if an order rejecting an appeal under this sub-rule is passed, the appellant shall be given an opportunity to be heard.

Copy of order to be supplied - A copy of order passed in appeal 23. shall be supplied free of cost to the appellant and another copy shall be sent to the officer whose order forms the subject matter of appeal.

- Procedure to be followed for filing revision The procedure prescribed for appeal shall also be applicable for filing revision.
 - (i) The Secretary of the Department shall exercise the power of Revision.
 - (ii) A date for regular hearing of the revision shall be fixed.
 - (iii) If, on the date fixed for hearing, the revisionist does not appear before the said authority either in person or through an agent, the said authority may decide the revision application ex parte on the basis of material available on record.
 - (iv) The said authority shall pass the Revision order within 30 days from the date of appearance of the affected Party on appointed date with reasoned order.

Chapter 13

Miscellaneous

25. **Repeal and Savings** - (1) with effect from the date on which these rules come into force, the rules made under notification No. 470F dated 15 Jan 1919, notification no.- 471 F dated 15 Jan 1919, Bihar Spiced Country Spirit (Manufacture and Sale) Rules, 1976, Bihar Country Liquor Bottling Rules 2004, Bihar Liquor (Price Fixation and Control) Rules 1994, the Bihar Excise (Settlement of licenses for retail sale of country/spiced country liquor/foreign liquor/beer and composite liquor shop) Rules 2007, the Bihar Beer(Import and Sale) Rules 2000 shall stand repealed;

22.

(2) Notwithstanding any such repeal, anything done or any action taken or purported to have been taken or any license granted, under the rules repealed by sub rule (1), any act in furtherance of the provisions of Bihar Prohibition and Excise Act 2016 shall, in so far as these are not inconsistent with these rules or the Act, be deemed to have been done, taken or granted under the corresponding provisions of these rules.

By the order of Governor, Bihar 24/9/2021 (Chaitanya Prasad)

(Chaitanya Prasad) Additional Chief Secretary to the Government, Bihar.

Form EL -1A

(See Rule 3)

Application for alteration of storage capacity and/or plant and machinery.

Date.....

To

The Collector,

Sir,

I,_____proprietor of -----M/s.....manufactory wish to

* enhance/reduce the storage capacity of Industrial Alcohol/raw materials/molasses as follows :

1.

2.

3.

and/or

* Alter/add/remove the following from the existing plant and machinery-

As follows:

1.

2.

3.

I am enclosing the draft lay out plan and the engineering design.

I am enclosing all the details of the proposed alteration in the storage capacity and/or in plant and machinery.

It is submitted that permission for the above may kindly be given.

Yours Sincerely (Name of the Proprietor)

Form EL -1B (See Rule 3)

Permission for alteration of storage capacity and/or plant and machinery.

Letter no:....

Date:.....

To

M/s_____

Please refer to your application dated -----. Your request for alteration of storage capacity and/or plant, machinery as follows -

1.

2.

(Collector)

Form EL - 2 A (See Rule 4)

Application for permit for export, transportation and transit of Industrial Alcohol and Intoxicants manufactured within the State of Bihar

Date of Application:

- 2. The import Permit issued by...... (Name and address of the issuing authority......) which is valid upto is annexed with this application.
- 3. Import Permit No.....
- 4. Date of Issue of the Import Permit

Signature of the Applicant/ Authorised Signatory

Form EL - 2B (See Rule 4)

Grant of permits, passes etc. for export, transportation of Industrial Alcohol and Intoxicants manufactured within the State of Bihar <u>Export Permit</u>

Permit No: Date of issue:

Valid upto.....

- 2. Date and Import Permit No. and Name of the District
- 4. This permit is not Transferable. This shall remain valid for days from the date of issue.

Excise Commissioner.

Movement Pass

Moveme	nt pass	no:					Vali	id Upto		
1. Date Consig	and gnee	Import	Permit	Noand	Name	and	ac	ldress	of	the
2. Date	e and	Export	Permit	No	and	Name	of	the	Cons	ignor
3. Route	of Mover	nent		·····						

Signature of issuing authority of the distillery

Return Pass/Export Verification Certificate

Date of return of Pass:

1. Date of receipt of consignment		
2. Date of Test of consignment		
3. Date of Storing of Consignment		
4. Details of INDUSTRIAL ALCOHOL or	INTOXICANT (ENA/RECTIFIED	SPIRIT/DENATURED
SPIRIT) received by Consginee	Strengh	B.L.received.
5. Remarks (if any)		

Signature of in charge of receiving warehouse Name Designation Address

Received Return Pass/ Export Verification Certificate

1.	Date of receipt of return pass
2.	Details of INDUSTRIAL ALCOHOL or INTOXICANT (ENA/RECTIFIED SPIRIT/DENATURED
	SPIRIT) received and stored by Consginee Strengh
	B.L.received.
-	

5. Remarks (if any)

Signature of issuing authority of the distillery

This permit shall be handed over to the authorized person of the concerned exporter who shall submit the same to the in charge officer of exporting distillery. In charge officer of the exporting distillery shall issue the movement pass appended with the export permit. The in charge officer of the receiving warehouse shall issue the return pass appended with the permit and in charge officer of exporting distillery shall enter the details in the format as provided in appended export permit.

Form EL - 3 A

(See Rule 7)

APPLICATION FOR TRANSIT PASS FOR VEHICLES/CONTAINER/TANKERS/CARRYING INDUSTRIAL ALCOHOL (ENA/RECTIFIED SPIRIT/DENATURED SPIRIT)/INTOXICANTS/ MOLASSES/PACKING MATERIALS ETC

Date of Application:

- 1. Shri/messrs intends to transit, through the following route
 - a. Entry Point/Checkpost
 - b. Exit Point/ Checkpost....
- 2. Name of the Transporter.....
- 3. The transport pass no...... which is valid upto and copy of which is annexed with this application.
- 4. Description of the consignment.....
- 5. Origin of consignment
- 6. Destination of consignment

Signature of the Driver Name of the Driver Address Driving license No:

Form EL - 3B

(See Rule-7)

	RANSIT PASS FOR VEHICLES/CONTAINER/TANKERS/CARRYING INDUSTRIAL
	COHOL (ENA/RECTIFIED SPIRIT/DENATURED SPIRIT)/INTOXICANTS/ OLASSES/PACKING MATERIALS ETC
Tr	ansit pass no
D 1.	Nate
1.	Name of the entry point (check post):
2.	Name of the exit point (check post):
3.	The name of the driver license no and The Vehicle
	no.: Vehicle type
4.	Description of the consignment:
5.	Time and date of leaving the entry point/check post:
6.	No. of digital lock and date of
	locking:
7.	Valid upto(Date)TillAM/PM.
	Issuing Authority in the Entry Point (Check Post).
8.	
0.	The description of consignment: after arrival in the Exit
	point.
9.	Time and date of arrival of vehicle/carrier:
10.	Time anddate of unlocking of digital lock:
11.	Remarks (if any)

Authority in the Exit Point (Check Post).

NOTE – The vehicle must cross the State of Bihar within the stipulated 24 hours of its entry, at first check post of the State of Bihar. The failure shall invite action under chapter VI of the Act.

By the order of Governor, Bihar 24/3/2021 (Chaitanya Prasad)

(Chaitanya Prasad) Additional Chief Secretary to the Government, Bihar Memo No.- 11/Utpad Niti-01-03/2021 4775 Patna, Date. 24.05 21 Copy forwarded to E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna With CD/the Superintendent, Gulzarbag Press, Patna-7 for information and necessary action.

He is directed to publish this notification in the next extraordinary issue of Bihar Gazette, 500 copies of the same be made available to the Department at the earliest.

> Additional Chief Secretary to the Government, Bihar

Memo No.- 11/Utpad Niti-01-03/2021 4775 Patna, Date. 24.09.2) Copy forwarded to the Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

24/9/2021

4/9/2021

Additional Chief Secretary to the Government, Bihar.

Memo No.- 11/Utpad Niti-01-03/2021 4775 Patna, Date.??
 Copy forwarded to the Excise Commissioner, Bihar, Patna/Private
 Secretary to Hon'ble Minister, Prohibition, Excise & Registration
 Department/Joint Commissioner of Excise/All Deputy Commissioner of
 Excise/All Assistant Commissioner of Excise/All Excise Superintendent/Excise
 Chemical Examiner/ Private Secretary to Additional Chief Secretary,
 Prohibition, Excise & Registration Department for information and necessary

24/9/702-

Additional Chief Secretary to the Government, Bihar.